देवभूमि क्लासेस

राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक / सांविधिक संस्थाएँ

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा हेतु

- **राहुल यादव**
- **वैष्णवी शुक्ला**

60/-

1. भारतीय निर्वाचन आयोग

पृष्ठभूमि

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है
अतः निर्वाचन स्वतंत्र व निष्पक्ष होना आवश्यक है
इसीलिए संविधान का भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 निर्वाचन की बातें दी हुई हैं ।

सामान्य जानकारी

स्थापना - 25 जनवरी 1950
मुख्यालय - नई दिल्ली
प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त - सुकुमार सेन
वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त - सुनील अरोड़ा
प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त - वीएस रामादेवी (1990)
प्रथम चुनाव - 1951-52 में
प्रमुख कार्य - चुनाव करवाना लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, आदि का चुनाव ।

नोट :- भारतीय निर्वाचन आयोग स्थानीय निकायों जैसे पंचायत नगर पालिका आदि के चुनाव नहीं करवाता यह चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाते हैं (अनुच्छेद 243K)

महत्त्वपूर्ण अनुच्छेद

अनुच्छेद 324 - निर्वाचन आयोग की स्थापना,संरचना हटाने की प्रक्रिया
अनुच्छेद 325 - निर्वाचक नामावली तैयार करते वक्त धर्म , मूलवंश , जाति लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नही
अनुच्छेद 326 - वयस्क मताधिकार (61 संविधान संशोधन द्वारा - 18 वर्ष)
अनुच्छेद 327 - संसद की निर्वाचन संबंधी कानून बनाने की शक्ति
अनुच्छेद 328 - राज्य विधानमंडल की निर्वाचन के संबंध में कानून बनाने की शक्ति
अनुच्छेद 329 - निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा
नोट - हालांकि चुनावों में धांधली पर कोर्ट जा सकते हैं
अनुच्छेद 324 को 6 भागों में बाटा गया है :
324(1) निर्वाचन आयोग की स्थापना
324 (2) निर्वाचन आयोग की संरचना
324 (3) मुख्यनिर्वाचन आयुक्त आयोग का अध्यक्ष होगा
324 (4) राष्ट्रपति द्वारा प्रदेश आयुक्त नियुक्त किए जायेंगे
324 (5) त्यागपत्र, हटाने की प्रक्रिया
324 (6) राष्ट्रपति, राज्यपाल निर्वाचन आयोग को कर्मचारी उपलब्ध करवाएंगे

विस्तार

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.devbhoomiclasses.com

DEVBHOOMI CLASSES

अनुच्छेद 324(1) - निर्वाचन आयोग की स्थापना, चुनाव करवाना (लोकसभा, राज्यसभा , राष्ट्रपति,उपराष्ट्रपति,,राज्यविधानमंडल)

अनुच्छेद 324(2) - <u>निर्वाचन आयोग की संरचना</u>
मुख्यनिर्वाचन आयुक्त - 1
अन्य निर्वाचन आयुक्त - जितने राष्ट्रपति चाहे
1- मूलतः 1 सदस्य
2- 16 oct 1989 - 3 सदस्य
3- 1990 में पुनः 1 सदस्यीय
4- 1 oct 1993 - तीन सदस्य (अभी तक)

नोट :-
- निर्वाचन आयुक्तों की योग्यता का वर्णन न तो संविधान में है ना ही अधिनियम में ।
- आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा(योग्यता - अनिर्धारित) ।
- संविधान में अन्य निर्वाचन आयुक्त की संख्या नहीं दी गई ।

अनुच्छेद 324(3) - मुख्य निर्वाचन आयुक्त आयोग का अध्यक्ष होगा ।
अनुच्छेद 324(4) - प्रादेशिक आयुक्त राष्ट्रपति नियुक्त करेगा ।
अनुच्छेद 324(5) - सेवाशर्तें व पदावधि(इस हेतु निर्वाचन आयुक्त अधिनियम बनाया गया 1991 में) - राष्ट्रपति द्वारा - (संसद के नियमों के अंतर्गत) ।
धारा 3 -
- वेतन भत्ते - सुप्रीम कोर्ट के न्यायधीश के समान
- वेतन - 2.5 लाख/माह
- पदावधी - 6 साल या 65 वर्ष
- त्यागपत्र - राष्ट्रपति
- हटाने की प्रक्रिया -

मुख्य निर्वाचन आयुक्त - SC के न्यायधीश के समान

अन्य निर्वाचन आयुक्त - मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर

कार्य

- लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति विधान सभा, विधान परिषद के चुनाव करवाना
- निर्वाचन तिथि, समय सारणी तैयार करना
- राजनीतिक दलों को मान्यता देना, दलों व उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता निर्मित करना
- रेडियो व टीवी कार्यक्रम की सूची तैयार करना
- संसद सदस्यों की निर्हरता के मामले में राष्ट्रपति को सलाह देना
- राज्य विधान मंत्री की निर्हर्ता राज्यपाल को सलाह देना
- निर्वाचन रद्द करना यदि मतदान केंद्र लूटा जाए
- राष्ट्रपति शासन व वाले राज्य में 1 वर्ष समाप्त होने के पश्चात निर्वाचन कराने को लेकर सलाह देना

अन्य तथ्य

- राष्ट्रीय मतदाता दिवस - 25 जनवरी
  प्रथम - 2011 में
  2021 की थीम - सभी मतदाता बने सशक्त व जागरूक

- वर्तमान में राजनीतिक दल - 8
  1. बहुजन समाज पार्टी
  2. भारतीय जनता पार्टी
  3. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी
  4. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी
  5. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
  6. राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी

DEVBHOOMI CLASSES

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.devbhoomiclasses.com

7. तृणमूल पार्टी
8. नेशनल पीपुल्स पार्टी

नोट :-

- महिला आयुक्त - नहीं बनी (अभी तक)
- प्रथम महिला सचिव - विजया श्रीवास्तव (चुनाव ऐप बनाया)

चुनाव सुधार से संबंधित समितियाँ एवं आयोग

विभिन्न समितियों एवं आयोगों ने हमारी चुनाव प्रणाली तथा चुनावी मशीनरी के साथ-साथ चुनाव प्रक्रिया की जाँच की है और सुधार के सुझाव दिये हैं। ये समितियाँ एवं आयोग निम्नलिखित हैं-

- तारकुंडे समिति (वर्ष 1974-75)
- चुनाव सुधार पर दिनेश गोस्वामी समिति (वर्ष 1990)
- राजनीति के अपराधी करण पर वोहरा समिति (वर्ष 1993)
- चुनावों में राज्य वित्तपोषण पर इंद्रजीत गुप्ता समिति (वर्ष 1998)
- चुनाव सुधारों पर विधि आयोग की रिपोर्ट (वर्ष 1999)
- चुनाव सुधारों पर चुनाव आयोग की रिपोर्ट (वर्ष 2004)
- शासन में नैतिकता पर वीरप्पा मोइली समिति (वर्ष 2007)
- चुनाव कानूनों और चुनाव सुधार पर तनखा समिति (वर्ष 2010)

उपरोक्त समितियों एवं आयोगों की अनुशंसाओं के आधार पर चुनाव प्रणाली, चुनाव मशीनरी और चुनाव प्रक्रिया में कई सुधार किये गए हैं। निम्नलिखित दो कालखंडों में बाँट कर इनका अध्ययन किया जा सकता है।

1.वर्ष 2000 से पूर्व चुनाव सुधार
2.वर्ष 2000 के बाद चुनाव सुधार

वर्ष 2000 से पूर्व चुनाव सुधार

1.संविधान के 61वें संशोधन अधिनियम, 1989 के तहत अनुच्छेद 326 में संशोधन करके मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई।

2. चुनाव कार्यों में लगे अधिकारी, कर्मचारियों को चुनाव की अवधि के दौरान चुनाव आयोग में प्रतिनियुक्ति पर माना जाएगा।इस अवधि में ये कर्मी चुनाव आयोग के नियंत्रण में रहेंगे।

3. नामांकन पत्रों को लेकर प्रस्तावकों की संख्या में 10 फीसदी का इज़ाफा किया गया।

4. राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम, 1971 का अपमान करने पर 6 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाना।

5. दो से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाना और उम्मीदवार की मौत पर चुनाव स्थगित न होना।

6. इस चरण में अब तक के सबसे बड़े चुनाव सुधारों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) का प्रचलन में आना शामिल है। इसका लक्ष्य चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष, सटीक और पारदर्शी बनाना है जिससे प्राप्त परिणामों को स्वतंत्र रूप से सत्यापित किया जा सके।अतः सार्वजनिक क्षेत्र के

DEVBHOOMI CLASSES

दो उपक्रमों भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बंगलुरू) और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (हैदराबाद) के सहयोग से भारत के चुनाव आयोग द्वारा EVM को तैयार किया गया।

दिसंबर 1988 में संसद द्वारा कानून में संशोधन किया गया और जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 में एक नई धारा जोड़ी गई जिसमें आयोग को EVM मशीनों के उपयोग का अधिकार दिया गया।

प्रयोग के तौर पर EVM का पहली बार उपयोग वर्ष 1998 में राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली के चुनावों के दौरान किया गया था।

वर्ष 1999 में गोवा विधानसभा चुनाव में पहली बार EVM का पूरे राज्य में प्रयोग हुआ।

वर्ष 2000 के बाद चुनाव सुधार

1. एक्ज़िट पोल पर प्रतिबंध

जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत चुनाव आयोग ने मतदान की शुरूआत होने से लेकर मतदान समाप्त होने के आधे घंटे बाद तक एक्ज़िट पोल को प्रतिबंधित कर दिया है।

लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में चुनाव के दौरान एक्ज़िट पोल के परिणाम प्रकाशित करने पर दो वर्ष का कारावास या जुर्माना अथवा दोनों सज़ा हो सकता है।

2. चुनावी खर्च पर सीलिंग

लोकसभा सीट के लिये चुनावी खर्च की सीमा को बढ़ाकर बड़े राज्यों में 70 लाख रुपए कर दिया गया है वहीं छोटे राज्यों में यह सीमा 28 लाख रुपए तक है।

3. पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान

सरकारी कर्मचारियों और समस्त बलों को चुनाव आयोग की सहमति के बाद पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान करने की अनुमति है।

विदेशों में रहने वाले ऐसे भारतीय नागरिकों को मतदान का अधिकार है जिन्होंने किसी अन्य देश की नागरिकता हासिल नहीं की है और उनका नाम किसी भी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज हो।

4. जागरूकता और प्रसार

युवा मतदाओं को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिये प्रोत्साहित करने हेतु भारत सरकार हर वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाती है। यह सिलसिला वर्ष 2011 से शुरू हुआ।

20,000 रुपए से अधिक राजनीतिक चंदे की जानकारी चुनाव आयोग को देना।

5. नोटा

वर्ष 2013 से नोटा व्यवस्था लागू करना एक अहम चुनाव सुधार माना जाता है। नोटा का मतलब है उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी नन ऑफ द एबव (None of the above)।

यह व्यवस्था मतदाता को किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में वोट नहीं देने और मतदाता की पंसद को रिकॉर्ड करने का विकल्प देती है।

पहले जब कोई मतदाता किसी उम्मीदवार को वोट नहीं देने का फैसला करता था तो मतदाता को बूथ के पीठासीन अधिकारी को यह बताना होता था

DEVBHOOMI CLASSES

और एक रजिस्टर पर हस्ताक्षर करना होता था। लेकिन इससे मतदाता के वोट आफ सिक्रेट बैलेट के अधिकार को नुकसान पहुँचता था।

6. मतदाता निरीक्षण पेपर ऑडिट ट्रायल

यह EVM से जुड़ी एक स्वतंत्र प्रणाली है, जो मतदाताओं को अनुमति देती है कि वे यह सत्यापित कर सकते हैं कि उनका मत उक्त उम्मीदवार को पड़ा है जिसके पक्ष में उसने मत डाला है।

जब मत पड़ता है तो एक मुद्रित पर्ची निकलती है जिस पर उस उम्मीदवार का नाम रहता है जिसे मत दिया गया है।

7. तकनीकी का प्रयोग

निर्वाचकों के लिये कंप्यूटरीकृत डेटाबेस का निर्माण, व्यापक फोटो इलेक्टोरल सेवा, फर्जी और डुप्लीकेट इंट्री को खत्म करने के लिये डी-डुप्लीकेशन तकनीक लाना। मतदान प्रक्रिया की विडियो रिकॉर्डिंग कराना।

आयोग ने ऑनलाइन संचार यानी कोमेट नाम की एक प्रणाली विकसित की है, इससे चुनाव के दिन प्रत्येक मतदान केंद्र की निगरानी करना संभव हो गया है।

GPS का उपयोग कर मतदान केंद्रों की अब रियल टाइम निगरानी भी की जा रही है।

चुनाव आयोग ने चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट दर्ज़ करने में नागरिकों को सक्षम बनाने के लिये 'सीविजिल' एप लॉन्च किया है

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.devbhoomiclasses.com

DEVBHOOMI CLASSES

DEVBHOOMI CLASSES